

**भारत सरकार**  
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**  
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3449**  
**दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां**

**3449. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**  
**श्री संजय उत्तमराव देशमुख:**  
**श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या देशभर में केन्द्र और राज्य सरकार के अस्पतालों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत संख्या में से विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देशभर के सरकारी अस्पतालों, विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, अनिवार्य सेवा प्रावधान या विशेष भर्ती योजनाओं जैसे उपाय लागू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, जिला अस्पतालों के उन्नयन और अभिघात परिचर्या केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(च) महाराष्ट्र सहित देशभर के विभिन्न राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सहित इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी प्रगति हुई है?

**उत्तर**  
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (च): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का मुख्य दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता

प्रदान करता है, इसमें स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों के लिए सहायता, देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं उन्नयन शामिल है। यह सहायता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के प्रस्तावों पर आधारित होती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए अनुमोदनों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूरे देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत संख्या और रिक्तियों से संबंधित विवरण हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं:

<https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं, ताकि देश भर के सरकारी अस्पतालों में, विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके;

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के में सेवा करने और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा करने के लिए प्रेरित हों।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीज़ेरियन सेक्शन कराने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्रीरोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बालरोग विशेषज्ञों और एनेस्थेसिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- अनेक प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कि डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव पूर्व जाँच (एनएनसी) जाँच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहन।

- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी लचीली कार्यनीतियों सहित, परस्पर सहमति से वेतन तय करने की अनुमति भी दी गई है।
- एनएचएम के तहत, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत, डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज गांवों को तथा एमबीबीएस विद्यार्थी उन गांवों के परिवारों को गोद लेते हैं। इससे गोद लिए गए परिवार के सदस्यों का टीकाकरण, शारीरिक विकास की निगरानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, वाहक नियंत्रण तथा दवा सेवन करने के लिए नियमित देख-रेख होती है। साथ ही, यह उन परिवारों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने में भी मदद करता है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के तहत, मेडिकल कॉलेजों के द्वितीय/तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।

महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के लिए उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि आवंटन की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, परिकल्पित सभी 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें महाराष्ट्र के गोंदिया और नंदुरबार जिलों के 2 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। ये दोनों मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

**अनुलग्नक-1**

**वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)**  
**के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय आवंटन और व्यय।**

**(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | जिले                               | 2023-24         |          | 2024-25         |          | 2025-26         |          |
|---------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|         |                                    | केंद्रीय निर्गत | व्यय     | केंद्रीय निर्गत | व्यय     | केंद्रीय निर्गत | व्यय     |
| 1       | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह       | 37.84           | 40.71    | 49.99           | 44.41    | 44.41           | 48.48    |
| 2       | आंध्र प्रदेश                       | 1,096.01        | 2,833.44 | 1,319.61        | 2,439.82 | 1,162.85        | 2,764.51 |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश                     | 404.55          | 399.44   | 388.86          | 472.93   | 349.93          | 411.14   |
| 4       | असम                                | 2,257.06        | 2,626.87 | 2,076.25        | 2,607.54 | 2,318.22        | 2,601.84 |
| 5       | बिहार                              | 2,032.95        | 4,010.97 | 2,367.18        | 4,466.31 | 2,508.99        | 4,287.22 |
| 6       | चंडीगढ़                            | 30.58           | 31.85    | 43.43           | 37.29    | 50.53           | 49.53    |
| 7       | छत्तीसगढ़                          | 875.8           | 1,743.79 | 969.11          | 1,784.09 | 1,159.42        | 2,121.60 |
| 8       | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 39.92           | 41.96    | 40.96           | 40.47    | 49.12           | 43.02    |
| 9       | दिल्ली                             | 150.54          | 338.41   | 240.39          | 365.44   | 346.34          | 547.04   |
| 10      | गोवा                               | 48.97           | 84.53    | 55.06           | 95.17    | 51.2            | 90.2     |
| 11      | गुजरात                             | 1,506.96        | 4,040.00 | 1,324.86        | 3,198.15 | 1,362.72        | 2,757.10 |
| 12      | हरियाणा                            | 524.01          | 1,221.41 | 562.49          | 1,127.06 | 636.01          | 1,402.07 |
| 13      | हिमाचल प्रदेश                      | 470.36          | 629.76   | 523.7           | 654.52   | 572.05          | 653.43   |
| 14      | जम्मू और कश्मीर                    | 805.22          | 956.95   | 1,040.76        | 1,110.30 | 1,017.14        | 1,180.71 |
| 15      | झारखंड                             | 958.06          | 1,992.91 | 964.31          | 1,986.59 | 984.57          | 1,873.32 |
| 16      | कर्नाटक                            | 1,187.60        | 2,741.98 | 1,295.81        | 2,478.23 | 1,268.26        | 2,513.61 |
| 17      | केरल                               | 189.15          | 1,246.25 | 1,351.78        | 1,422.88 | 813.16          | 1,743.43 |
| 18      | लक्षद्वीप                          | 3.79            | 7.1      | 9.68            | 10       | 12.94           | 10.4     |
| 19      | मध्य प्रदेश                        | 2545.68         | 5202.61  | 2430.91         | 5225.77  | 3,047.35        | 5,628.05 |
| 20      | महाराष्ट्र                         | 2,729.30        | 5,001.70 | 2,417.95        | 4,364.86 | 2,496.92        | 5,149.77 |
| 21      | मणिपुर                             | 169.12          | 159.32   | 279.16          | 295.79   | 255.54          | 366.92   |
| 22      | मेघालय                             | 261.39          | 305.83   | 297.95          | 393.01   | 336.52          | 377.57   |
| 23      | मिजोरम                             | 134.42          | 179.84   | 159.96          | 174.67   | 179.13          | 206.88   |
| 24      | नागालैंड                           | 184.84          | 196.69   | 204.47          | 243.6    | 187.95          | 228.1    |
| 25      | ओडिशा                              | 1,901.77        | 3,356.68 | 1,916.79        | 3,585.01 | 1,760.71        | 4,330.21 |
| 26      | पुदुचेरी                           | 30.8            | 45.74    | 26.27           | 49.27    | 30.83           | 56.4     |

|    |              |          |           |          |           |          |           |
|----|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 27 | पंजाब        | 91.49    | 1,428.94  | 878.21   | 1,027.72  | 724.47   | 1,146.42  |
| 28 | राजस्थान     | 2,785.46 | 4,350.63  | 2,398.62 | 4,772.33  | 2,360.80 | 4,540.21  |
| 29 | सिक्किम      | 68.17    | 75.77     | 81.67    | 89.59     | 99.18    | 117.93    |
| 30 | तमिलनाडु     | 1,996.06 | 3,104.16  | 1,742.67 | 3,461.74  | 1,714.44 | 3,191.61  |
| 31 | त्रिपुरा     | 264.31   | 309.62    | 268.67   | 279.35    | 331      | 382.15    |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 4,928.14 | 10,572.60 | 5,853.43 | 10,377.16 | 5,686.12 | 11,069.32 |
| 33 | उत्तराखंड    | 711.33   | 709.79    | 604.05   | 760.15    | 620.69   | 722.3     |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 890.42   | 3,641.98  | 688.44   | 3,583.07  | 1,324.66 | 3,588.42  |
| 35 | तेलंगाना     | 564.93   | 1,288.75  | 1,110.43 | 1,872.42  | 868.92   | 1,452.06  |
| 36 | लद्दाख       | 120.44   | 119.67    | 135.98   | 150.5     | 142.24   | 138.98    |

नोट:

1. उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है।

\*\*\*\*\*